कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या : कल्याण/3(116)/2017/एफए/5608 दिनांक: 14.06.2018

सेवा में,

सभी अध्यक्ष, क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियां/
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.), (अंचल), निदेशक, (पीडीनास)
एवं अपर के.आयुक्त (प्र.से.प्र.) मुख्यालय

विषय : केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति / क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति से वित्तीय सहायता के लिए समिति के गठन - के संबंध में।

महोदय,

क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि का उद्देश्य समय-समय पर विनिर्दिष्ट विशेष मेडिकल इमरजेंसी तथा गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, दिल की सर्जरी आदि के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है। क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि से उक्त सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य कर्मचारी द्वारा झेली जा रही परेशानी को कम करना है। अत: उक्त मामलों में होने वाले मेडिकल खर्च के कारण कर्मचारी को होने वाली किसी वित्तीय परेशानी की जांच करके ही ऐसे मामलों को मुख्यालय में सिफारिश हेतु भेजा जाना चाहिए। परंतु यह देखा गया कि अधिकांश ऐसे मामले, व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक संकट की जांच किए बिना, यदि कोई है तो, या क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि से वित्तीय सहायता के लिए ऐसे मामलों की सिफारिश हेतु तर्क दिए बिना मुख्यालय को भेजे जाते हैं।

अत:, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी प्रस्तावों को मुख्यालय को भेजने से पूर्व अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है, जो उपर्युक्त अनुसार इनकी जांच करेगा और उसके पश्चात क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति के माध्यम से सिफारिश करेगा ।

(केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त / अध्यक्ष, सी.एस.डब्ल्यू.सी के अनुमोदन से जारी)

भवदीया,

(उमा मंडल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (एच.आर.एम.) /
सचिव, सी.एस.डब्ल्यू.सी

प्रतिलिपि:

i. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त को सूचनार्थ।
ii. क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

D:\web letter 2018\वेलफेयर उमा मंडल.docx 15-06-2018